प्रेस विज्ञप्ति

20.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ज़ोनल कार्यालय 19.09.2024 को मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों से संबंधित धन-शोधन मामले में पटना, बेंगलुरु और नोएडा में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा भा.दं.सं., 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 16 प्राथमीकियों और विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की । इसके अलावा, इस मामले में आवश्यक कदम उठाने के निदेश माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा भी जारी किए गए हैं।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी ने दानापुर में "साईं एन्क्लेव" नामक परियोजना में फ्लैट दिलाने के नाम पर भोले-भाले घर खरीदारों से पैसे वसूले हैं। हालांकि, बाद में निवेशकों को न तो फ्लैट का कब्जा दिया गया और न ही उनका निवेश किया गया पैसा वापस किया गया।

इसके अलावा, ईडी की जांच से पता चला कि कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों ने संभावित खरीदारों से एकत्र की गई राशि का गबन कर लिया और इसका उपयोग निजी संपत्तियां हासिल करने में किया।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप निदेशकों द्वारा उनके नाम पर अर्जित संपत्तियों की पहचान की गई है और जांच के लिए प्रासंगिक वित्तीय लेनदेन वाले भौतिक और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं। निदेशकों और कर्मचारियों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों की पहचान की गई है और जिन खातों में अपराध की आय जमा हुई है उन्हें फ्रीज कर दिया गया है।

आगे की जांच जारी है।